







(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू
दिनेश कुमार चौधरी वगै० बनाम तहसीलदार पीपलू
किस्म मुकदमा-प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. 1956
प्रकरण संख्या 119 सन् 2025

क्रमांक
2025/297

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
11.06.25	पत्रावली रिपोर्ट होकर पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर तलबी समन प्रतिपक्षी जारी हो। पत्रावली दिनांक 13.06.2025 को पेश हो।  उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टॉक)	
13 ⁰⁶ / ₂₅	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली तब आदेशिका अनुसार दिनांक 20/6/2025 को पेश हो। 	
20 ⁰⁶ / ₂₅	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली तब आदेशिका अनुसार दिनांक 25.06.25 को पेश हो। 	
25 ⁰⁶ / ₂₅	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली तब आदेशिका अनुसार दिनांक 14/7/25 को पेश हो। 	
14 ⁰⁷ / ₂₅	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली तब आदेशिका अनुसार दिनांक 11/8/25 को पेश हो। 	
11 ⁰⁸ / ₂₅	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली तब आदेशिका अनुसार दिनांक 16.09.25 को पेश हो। 	

16/09 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वकील/प्रवकी
हस्तक्षेप/पीओ साहब राजकार्य में व्यस्त
अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण
पत्रावली इन आवेशिका अनुरार दिनांक
14-10-25 पेश हो।
Ray

14/10 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व परामर्श
अनुपस्थित रहे। बार-2 आवाजे लगायी गई, परन्तु
कोई उपस्थित नहीं हुआ। अन्तिम आवाज सायं
5:00 बजे लगायी गई। अधिवक्ता प्रार्थी व परामर्श
अनुपस्थित रहे के कारण पत्रावली अक्षम हाजरी
अक्षम फेब्री में खारिज की जाती है। पत्रावली
निर्दिष्ट नुमां देकर दूसरे व्यक्ति से एवं
निपटानुगत नम्बर से कम है।

उप खण्ड अधिकारी
बीपल (टॉक)